महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

वेब–साइटः www.upefa.com ई–मेलः upefaspo@gmail.com दूरभाषः 0522-4024440, 2780384, 2781128

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

मिशन प्रेरणा

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांकः रा0प0नि0 / /2021–22 / लखनऊ **दिनांकः** 8 मार्च ~~फरवरी~~**, 2022**

विषय– **एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि **"कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण–पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।**

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु– 15 में उल्लिखित निर्देश **"प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है"** के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू–डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश / समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव में यू–डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू–डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकनः रा0प0नि0 / 5654 / 2021–22 / लखनऊ / तद्दिनांक
प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू–डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट–एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

सेवा में,

प्रबन्धक
एस0जी0 पब्लिक स्कूल
अकोला, आगरा।

पत्रांक/मान्यता/संशोधन/9063-69 /2014–15 दिनांक– 05-11-14

विषय– एस0जी0 पब्लिक स्कूल अकोला, आगरा की कार्यालय पत्रांक– मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/2459–65/2012–13 दि0– 31–07–2012 के मान्यता पत्र में स्कूल की जमीन का गलत रकवा अंकन को संशोधन करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी को संबोधित अपने पत्र दि0– 27–10–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा एस0जी0 पब्लिक स्कूल अकोला, आगरा की कार्यालय पत्रांक– मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/2459–65/2012–13 दि0– 31–07–2012 के निर्गत मान्यता पत्र में स्कूल की जमीन का गलत रकवा 1959 अंकन हो गया था को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। मान्यता सम्बन्धी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि स्कूल की जमीन का वास्तविक रकवा 0.1959 है। अतः इसी रकवे को सही मानते हुये संशोधन के रूप में 1959 के स्थान पर 0.1959 पढा जाये।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

पृ0स0/मान्यता/संशोधन/ /2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ0प्र0, निशातगंज लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक) शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा।
5– समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6– खण्ड शिक्षा अधिकारी अकोला, आगरा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

प्रेषकः

जिला शिक्षा अधिकारी/
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
एस0जी0 पब्लिक सकूल,
अकोला– आगरा।

पत्रांक/मान्यता/अं0म0/~~हि0म0~~/ 2459-65 /2012–13 दिनांक 31/7/2012

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख.....31.10.2011... के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार /निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं...एस0जी0 पब्लिक स्कूल, अकोला, आगरा.(विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख....01.08.2012.से तारीख....31.07.2015... तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा...नर्सरी...से कक्षा...08..तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा ।

3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के....25...प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियॉं प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन करेगा ।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

कमशः........2 पर

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा;

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बाल को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनत अर्हताऍ नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऍ अर्जित करेगें ;

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेगें ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाऍ नियमानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 1959 हेक्टेअर

कुल निर्मित क्षेत्र– 900 वर्ग मीटर

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल – 1059 वर्ग हेक्टेअर

कक्षाओं की संख्या– 11

प्राध्यापक–सह– कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष– 04

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– 02–02

पेयजल सुविधा–समर सेबिल/टंकी

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– 01

बाधा रहित पहुॅच– डाबर रोड

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता है

कमश....3 पर

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जाएगी ।

10. विद्यलय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय के आवंटित में मान्यता कोड संख्यांक...2459-65...है।
कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें ।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकरी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें ।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यादि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

(देवेन्द्र प्रकाश)
जिला शिक्षा अधिकारी/
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा

पृ0स0/मान्यता/2459-65/2012-13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशतगंज, लखनऊ ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) ,शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा ।
5. समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।
6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

जिला शिक्षा अधिकारी/
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा